सप्तदश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 05 अग्रहायण, 1946 (श०) / 26 नवम्बर, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 10

(1)	शिक्षा विभाग	.. ..	06
(2)	समाज कल्याण विभाग	.. ..	02
(3)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	.. ..	01
(4)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	10

"ई" शिक्षा ऐप को कार्य युक्त बनाना

1. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में "ई" शिक्षा ऐप पर उपस्थिति अनिवार्य किया गया है जबकि "ई" शिक्षा ऐप सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि "ई" शिक्षा ऐप पर उर्दू विद्यालयों के लिये रविवार को होली डे अंकित रहता है जबकि रविवार को उर्दू विद्यालय में पठन-पाठन कार्य संचालित होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जबतक "ई" शिक्षा ऐप सही से कार्य युक्त नहीं हो जाता है तबतक के लिये इसे बाध्यकारी नहीं बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

2. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "महिला अनुपात कमा, भ्रूणहत्या के खिलाफ अभियान का आदेश" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) के जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में वर्ष 2023-24 में बेटियों ही तादाद प्रति हजार 882 रह गई है जो वर्ष 2022-23 में प्रति हजार 894 और वर्ष 2021-22 में 914 से कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलावार सूची के अनुसार पूर्वी चम्पारण में जहाँ बेटियों की संख्या 908 से घटकर 870, गया जिले में 917 से घटकर 870 हो गई है तथा राज्य के अन्य जिलों में 11 से 47 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेटियों की संख्या में गिरावट के रोकथाम के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विशेष शिक्षकों का सामंजन

3. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि SSA के समावेशी शिक्षा संभाग में नई बहाली के विज्ञापन हेतु प्रक्रिया किये जाने के पूर्व विगत 19 वर्षों से कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षक (संसाधन शिक्षक/प्रखंड साधन सेवी तथा पुनर्वास विशेषज्ञों) का सामंजन नहीं किये जाने से उनका भविष्य अंधेरे में लटक गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट संख्या (सिविल)-132/2016, रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 तथा 12 मार्च, 2024 के पारित आदेश के पैरा 48 के पृष्ठ 74 (34 पैरा 4.3.2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दिव्यांग बच्चों के लिये विशेष शिक्षक एवं अन्य कार्यबल की नई नियुक्ति के पूर्व मौजूदा मानव संसाधन का सामंजन कर लिया जाये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेशानुसार बिहार राज्य में शिक्षा परियोजना में कार्यरत विशेष शिक्षकों का सामंजन करने का विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

शराबबंदी का औचित्य

4. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''जहरीली शराब से अबतक 156 मौत, सारण में सर्वाधिक 75 की गई जान'' के आलोक में क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अबतक प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 156 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसमें से सर्वाधिक 75 मौतें सारण, पूर्वी चम्पारण में 55 तथा गोपालगंज में 33 मौतें हुई है, यदि हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में हुई मौत के बावजूद राज्य में शराबबंदी का क्या औचित्य है ?

सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुनर्जीवित करना

5. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 4000 सार्वजनिक पुस्तकालय की संख्या थी जो अब घटकर पूरे प्रदेश में सरकार संपोषित पुस्तकालय की संख्या मात्र 50 रह गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संरक्षण के अभाव में पुस्तकालय की संख्या में लगातार कमी हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी भी 50 पुस्तकालय को हर साल 3 करोड़ की सहायता राशि दी जाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य में 4000 सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारगर कदम उठाना

6. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''लापरवाही योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं 26 लाख छात्र'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक करोड़ 76 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति पोशाक और साईकिल आदि योजनाओं का लाभ देने हेतु छात्र-छात्राओं की सूची ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें 26 लाख छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं है, फलस्वरूप उक्त योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार यथाशीघ्र 26 लाख छात्र-छात्राओं का आधार नंबर के साथ ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कौन-सा कारगर कदम कबतक उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पौष्टिक आहार योजना से जोड़ना

7. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे के 13 जिलों की पौने दो लाख किशोरियाँ शारीरिक रूप से कमजोर'' के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 13 जिलों की 1 लाख 78 हजार 34 किशोरी शारीरिक रूप से कमजोर है जबकि वर्तमान में मात्र 46 हजार किशोरियों को ही किशोरी बालिका योजना से जोड़कर पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष किशोरियों को किशोरी बालिका योजना से जोड़कर उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई कराना

8. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बनारस-कोलकाता, आरा-सासाराम सहित राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल 13 परियोजनाओं के लिये प्रतिपूरक वनीकरण नियमावली, 2023 में ही बिहार में लागू हो जाने के बावजूद वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र की जमीन उपलब्ध कराने और उस पर काम कराने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण कुल 13 परियोजनाओं का काम बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार वन विभाग से कबतक सभी परियोजनाओं के लिये वन क्षेत्र की जमीन और अनुमति उपलब्ध कराने एवं विलम्ब के लिये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया प्रतिपूर्ति राशि देना

9. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि RTE Act, 2009 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को राशि प्रतिपूर्ति वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से की जाने थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय को RTE Act, 2009 के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक बकाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार RTE Act, 2009 के तहत मिलने वाली बकाया प्रतिपूर्ति राशि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा शुल्क माफी के संबंध में

10. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1457, दिनांक 24 जुलाई, 2015 तथा पत्रांक 1547, दिनांक 15 मई, 2023 द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी एवं महिला विद्यार्थियों के सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन में स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा में प्रत्येक स्तर में सभी प्रकार के शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक नामांकित छात्रों को शुल्क माफी के निर्णय के पश्चात् इस शुल्क की भरपाई नहीं किये जाने के कारण राज्य के सम्बद्ध महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है और पठन-पाठन प्रभावित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा शिक्षा शुल्क माफी के एवज में उसकी भरपाई का निर्णय अबतक नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 26 नवम्बर, 2024 (ई०) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०, 46(एल०ए०), 2024-25-डी०टी०पी०-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024